प्रेस विज्ञप्ति

04 अप्रैल, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

भाजपा सरकार का कर्जमाफी का वायदा अधूरा– 'अर्द्धसत्य'

92,241 करोड़ रु. के कर्ज में से मात्र 36,000 करोड़ की माफी

56,241 करोड़ का मियादी कर्ज (term loan) आज भी किसान के सर बकाया

ऊंट के मुंह में जीरा– नहीं किया वायदा पूरा

1. उत्तरप्रदेश मंत्रीमंडल की पहली बैठक से यूपी के किसानों की उम्मीद टूट गई है। योगी मंत्रीमंडल ने मात्र 36,000 करोड़ रु. का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है, जो न तो किसान को कर्जामुक्ति दे पाएगा और न ही पर्याप्त राहत।

2. उत्तरप्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। इनमें से 2 करोड़ 15 लाख छोटे और सीमांत किसान हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो यूपी में सीमांत किसान 79.45% हैं और छोटे किसान 13.01%। सीमांत किसानों (संख्या– 1,85,00,000) के पास औसतन भूमि 0.44 हेक्टेयर है, तथा छोटे किसानों के पास औसतन भूमि 1.43 हेक्टेयर।

3. यूपी में 64,14,170 किसानों पर शेड्यूल्ड बैंक्स का 86,241 करोड़ रु. कर्जा है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों का किसान पर कर्जा 6,000 करोड़ है। यह कर्जा दो किस्म का है, यानि फसली कर्जा (Crop loan) व मियादी कर्जा (Term loan)। इस प्रकार से कुल कर्जा 92,241 करोड़ रु. है।

4. उत्तरप्रदेश सरकार के मुताबिक मंत्रीमंडल ने 86 लाख किसानों का 1 लाख रु. तक का फसली कर्जा (Crop loan) माफ करने का निर्णय किया है, जो कुल 36,000 करोड़ होगा। कर्ज के कुचक्र में फंसे किसान को इस कर्जामाफी के आधे अधूरे निर्णय से न तो राहत मिलेगी और न कर्ज के कालचक्र से छुटकारा।

   क्योंकि मियादी कर्ज (Term loan) की तलवार तो यूं कि यूं किसान के सर पर लटकी रहेगी और कर्ज का कालचक्र किसान के सर देय रहेगा। झूठी वाहवाही में मदमस्त साथियों को यह महत्वपूर्ण पहलू जानने व समझने की जरूरत है। न तो प्रधानमंत्री जी ने और न ही भाजपा के घोषणापत्र में किसान के कर्जे की श्रेणी में (यानि फसली कर्जा या मियादी कर्जा) भेदभाव की चर्चा की गई। इस आधे–अधूरे सच ने मुसीबत की मंझधार में फंसे किसान को एक बार फिर अपनी दयनीय स्थिति से जूझने के लिए खुद के हाल पर छोड़ दिया है।

5. किसान की 1 लाख तक की कर्जमाफी का दावा करने वाले लोगों को यह भी जानने की आवश्यकता है कि सीमांत किसान की औसतन जमीन तो यूपी में 0.43 हेक्टेयर है, और वह इसलिए 50,000 से ज्यादा का कर्ज तो ले ही नहीं सकता। जैसा पहले कहा गया, यूपी में 2 करोड़ 33 लाख किसानों में से 1 करोड़ 85 लाख तो सीमांत किसान हैं। यही कारण है कि कर्जा माफी की राशि भी 92,241 करोड़ न होकर, 36,000 करोड़ पर सीमित कर दी गई है। इस मृग मरीचिका को भी समझने और जानने की आवश्यकता है।

6. भाजपा सरकार ने 14 दिन में गन्ना किसान के बकाया के भुगतान का वायदा भी किया था, जो कुल 7,313 करोड़ है। इसका विवरण निम्न है :–

   2014–15 – 153 करोड़; 2015–16 – 599 करोड़; 2016–17 – 6,561 करोड़।

   दुख व वेदना की बात यह है कि योगी मंत्रीमंडल ने इस बारे कोई निर्णय नहीं लिया।

7. यूपी के आलू पैदा करने वाले किसान की स्थिति भी विकट है। ₹800 से ₹ 1000 प्रति क्विंटल बिकने वाले आलू की फसल इस साल ₹ 200 से ₹ 300 प्रति क्विंटल में पिटी। भाजपा ने वायदा किया था कि आलू खरीद पर भी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। परंतु इसको भी एक मंत्रीमंडल की एक कमेटी बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। किसान को इससे भी अथाह पीड़ा पहुंची है।

8. यूपी का किसान 'अर्द्धसत्य' से नहीं, 'संपूर्ण कर्जामाफी' से अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा। किसान को सरकार की सहानुभूति नहीं, सार्थक निर्णय की आवश्यकता है। किसान की हालत शब्दों और बातों से नहीं, संपूर्ण कर्जामाफी के निर्णायक कदम व फसल के उचित दाम मिलने से बेहतर होगी। जहां फसली कर्जमाफी का निर्णय सही कदम है, परंतु यह एक अधूरा सच है जिससे न यूपी के किसान को कर्ज मुक्ति मिलेगी और न ही एक नई जिंदगी और शुरुआत का मौका। समय आ गया है कि प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री अपना वायदा पूरा करें।